कुमार

बनाम

राज्य, मार्फत **पुलिस निरीक्षक**

11 मई, 2018

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या – संदेह का फायदा – दोषमुक्ति – अभियुक्त और मृतक के नातेदार तथा अन्य साक्षियों के बीच झगड़ा होना – मृतक के मध्यक्षेप करने पर डंडे से उसके सिर पर प्रहार किया जाना – झगड़े में अभियुक्त को भी क्षतियां पहुंचना – घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास होना – जहां घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में तात्विक तथ्यों को छिपाया गया हो अभियुक्त को पहुंची क्षतियों की चिकित्सीय रिपोर्ट को भी अभिलेख पर न लाया गया हो और उसका कोई स्पष्टीकरण न दिया गया हो, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्यों में अभियुक्त की भूमिका के बारे में विरोधाभास हो तथा हेतु भी स्पष्ट न हो तो वहां संदेह का फायदा अभियुक्त के पक्ष में जाने के कारण उसे दोषमुक्त करना न्यायोचित होगा ।

इस मामले में के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्त-अपीलार्थी और मृतक के बीच एक ग्राम उत्सव के दौरान नाटक देखते हुए कहा-सुनी हुई थी । अगले दिन अभियुक्त-अपीलार्थी घटनास्थल पर आया और मृतक के साले तथा साढू (अभियोजन साक्षी) से झगड़ा करने लगा । इसी बीच मृतक वहां आया और उसे देखकर अभियुक्त ने उसे समाप्त कर देने की बात कहते हुए उसकी ठोकरों से पिटाई करने लगा तथा उसे खींचकर नहर में गिरा दिया । जब वह किनारे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा तो अभियुक्त ने उसके सिर पर डंडे से प्रहार किया और वह क्षतिग्रस्त हो गया । इस झगड़े में अन्य साक्षियों के साथ-साथ अभियुक्त को भी क्षतियां पहुंची । अभियुक्त और मृतक दोनों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया । मृतक की क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । अभियुक्त को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई । बाद में, अभियुक्त को गिरफ़्तार किया गया । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 302 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाते हुए विद्वान् जिला मुंसिफ-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट को

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को आगे सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया । अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । सेशन न्यायालय ने तारीख 7 अक्तूबर, 2013 के आदेश द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास भुगतने और 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निदेश दिया । अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध के लिए भी एक वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । तथापि, दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया । अभियुक्त-अपीलार्थी ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में समावेदन किया । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त की अपील खारिज कर दी । अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के वृत्तांत के आधार पर न्यायालय यह मत व्यक्त कर सकता है कि कम से कम तीन अलग-अलग वृत्तांत हैं, जिनसे सारभूत रूप से अभियोजन का पक्षकथन कमजोर होता है । अपराध की उत्पत्ति को छिपाने के मुद्दे पर, अभि. सा. 20 (हेड कांस्टेबल) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह ऐम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल पर मौजूद था । यद्यपि, इस साक्षी की विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई थी, किंतु वह अपनी इस स्थिति से नहीं डगमगाया कि ऐम्बुलेंस पहुंचने से पूर्व कोई कथन अभिलिखित नहीं किया गया था । इसके विपरीत, अभि. सा. 2 ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अभि. सा. 20 द्वारा ऐम्बुलेंस पहुंचने से पूर्व एक कथन अभिलिखित किया गया था । यद्यपि, उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 2 के साक्ष्य को अविश्वसनीय पाया है क्योंकि साक्ष्य का वह भाग जिसमें पूर्वोक्त ब्यौरा दिया गया है, वह कुछ दिनों के पश्चात् उसे पुनः बुलाकर अभिलिखित किया गया, इसलिए तरफदार बना लेने की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए अभि. सा. 2 द्वारा किए गए कथन की विश्वसनीयता पर इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में विचार किए जाने की आवश्यकता है । तथापि, जब अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है, तो न्यायालय को ऐसी धारणा का अंतर्निहित तर्काधार समझ नहीं आता और इतना ही नहीं, जब उसके विवरण की संपुष्टि अन्य साक्षियों से हुई है । अतः, अभि. सा. 2 के साक्ष्य

की तह में जाने की आवश्यकता है । यह अभिलेख का विषय है कि अभिकथित अभियुक्त-अपीलार्थी को घटना से अगले दिन अस्पताल से हड़बड़ी में गिरफ्तार किया गया था । यह भी उल्लेख किया गया है कि पुलिस प्राधिकारियों ने अपीलार्थी को अस्पताल से अप्रायिक रीति से छुट्टी कराई और उसे एक दिन अवैध रूप से परिरुद्ध रखा । दांडिक न्याय अनिन्द्य होना चाहिए । यह बात असंगत है कि क्या साक्षियों के कथन में या अभियुक्त की दोषिता के संबंध में असत्यता है या नहीं । अन्वेषक प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वह ऋजु तरीके से अन्वेषण करे और सच्चाई को प्रकट करे । पुनरावृत्ति करते हुए, न्यायालय द्वारा संबंधित प्राधिकारियों को यह स्मरण कराना होगा कि अन्वेषण अंततोगत्वा परिणाम को ध्यान में रखे बिना तटस्थ रीति में किया जाना चाहिए । प्रस्तुत मामले में, जो कुछ घटित हुआ है, न्यायालय उसकी अनदेखी नहीं कर सकता है ; दोषिता या प्राख्यान किए गए साक्ष्य की प्रेरकता को विचार में लाए बिना उस पहलू की उपेक्षा या अनदेखी नहीं की जा सकती है, जिसमें पुलिस ने तथ्यों को छिपाने के लिए सक्रिय रूप से मौनानुकूलता बरती है । प्रस्तुत मामले में, स्वीकृततः, अभियुक्त-अपीलार्थी भी उसी घटना में क्षतिग्रस्त हुआ था और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था । किंतु अभियोजन पक्ष ने उसका चिकित्सीय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, न ही अभियुक्त को पहुंची क्षतियों की प्रकृति की बात पर डाक्टर की परीक्षा की गई है । विचारण न्यायालय ने, अभियुक्त को पहुंची क्षतियों के अभियोजन पक्ष से उचित स्पष्टीकरण की ईप्सा करने के बजाय, अभियोजन साक्षियों द्वारा एक वाक्य में दिए गए इस अभिसाक्ष्य पर सरलता से विश्वास किया गया प्रतीत होता है कि अभियुक्त को केवल साधारण क्षतियां पहुंचीं थीं । अभि. सा. 24 अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि हाथा-पाई से अभि. सा. 2 (आरुमुघम) को "साधारण" क्षतियां पहुंचीं थीं और अभि. सा. 24 ने डा. लावण्य (अभि. सा. 17) का कथन अभिलिखित किया था, जिसने अभि. सा. 2 का उपचार किया था । उसने डा. इलायाराज (अभि. सा. 18), जिसने मृतक के शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी, की भी परीक्षा की थी । किन्तु, अभियुक्त-अपीलार्थी के मामले में, अभि. सा. 24 अन्वेषक अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि उसे इस तथ्य की जानकारी थी कि अभियुक्त-अपीलार्थी अंतरंग रोगी के रूप में भर्ती है और अभियुक्त-अपीलार्थी को क्षतियां पहुंचीं हैं । उसने यह भी कथन किया कि न तो उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और न ही अभियुक्त को पहुंचीं क्षतियों की बाबत डाक्टर की परीक्षा की थी । जिन परिस्थितियों में मृतक,

अभियुक्त और अभि. सा. 2 (आरुमुघम) को भी क्षतियां पहुंचीं थीं, उनमें अन्वेषक अधिकारी के लिए डाक्टर की परीक्षा करना और अभियुक्त को पहुंचीं क्षतियों के बारे में जानकारी लेना आबद्धकर था और उसे अभिलेख का भाग बनाया जाना चाहिए था । अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय को इस बात का उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे कि उस व्यक्ति के शरीर पर, जो मृतक पर हमला करने का अभियुक्त है, उसी घटना में कैसे क्षतियां पहुंचीं थीं । न्यायालय यह उल्लेख कर सकता है कि अभियुक्त को अभिकथित रूप से पहुंचीं क्षतियों के बारे में उचित रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । एक अनुकल्पी कहानी गठित की गई है जिसमें भीड़ द्वारा मारपीट करने के कारण क्षतियां पहुंचने की बात कही गई है, ऐसे अभिकथनों को सारभूत साक्ष्य के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है । मामले के अन्य पहलू पर आते हैं । अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त का हेतु एक ग्राम उत्सव पर एक नाटक के दौरान अभियुक्त और मृतक के बीच हुए पूर्ववर्ती झगड़े को माना गया है । साधारणतया, यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के हेतु को एक परिस्थिति के रूप में रखना चाहता है, तो अपराध में आलिप्त करने वाली किसी अन्य परिस्थिति की तरह इसे भी पूरी तरह से सिद्ध किया जाना चाहिए । न्यायालय इस तथ्य के प्रति जागरूक है कि यदि घटना के हेतु की उत्पत्ति को साबित नहीं किया जाता है, तो घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य केवल हेतु के अभाव के आधार पर तब व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यदि अन्यथा साक्ष्य विश्वास करने योग्य है । किन्तु प्रस्तुत मामले में, जैसा कि न्यायालय ने उपरोक्त पैराओं में चर्चा की है, प्रत्यक्ष साक्ष्य समाधानप्रद नहीं है तथा दूसरी ओर, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के इस परिसाक्ष्य के अतिरिक्त कि झगड़ा हुआ था, यह प्रदर्शित होता है कि मृतक ने डंडे से अभियुक्त के सिर पर प्रहार किया था । ऐसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, निश्चित रूप से हेतु एक दुधारी तलवार के रूप में कार्य कर सकता है । इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा स्थिर की गई विधि और साथ ही साक्ष्य से जो स्पष्ट होता है, को ध्यान में रखते हुए, यदि यह मान लिया जाए कि अभियुक्त ने मृतक पर डंडे से प्रहार किया था, तो भी अत्यधिक क्रूरता का अभाव है । यदि मृतक को जान से मारने का प्रबल हेतु रहा होता तो मृतक पर डंडे से नहीं अपितु अधिक खतरनाक आयुधों का उपयोग करके कारित की गई अधिक घातक क्षतियां पाईं जातीं । ये परिस्थितियां न्यायालय को बताती हैं कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त द्वारा उस झगड़े की पृष्ठभूमि में मन में हेतु रखा हुआ था, जो घटना की तारीख

से पूर्व ग्राम उत्सव पर नाटक के दौरान हुआ था । जहां तक कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त द्वारा उक्त झगड़े में अपराध कारित करने के लिए हेतु के तत्व के रूप में जो आधार लिया है, ऐसे हेतु के सकारात्मक सबूत के अभाव में अभियोजन पक्ष को इस आधार को सिद्ध करने में असफलता का सामना करना होगा । इस मामले में, परिस्थितियों और अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर प्रस्तुत किया है और अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है । न्यायालय उस तरीके से हैरान है जिसमें निचले न्यायालयों ने इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को समझा है । न्यायालय विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर विचार करते समय अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं है । (पैरा 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32 और 34)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1976]	1976 क्रिमिनल ला जर्नल 1736 : **लक्ष्मी सिंह और अन्य** बनाम **बिहार राज्य** ;	28
[1968]	1968 क्रिमिनल ला जर्नल 1479 : **मोहर राय और भरत राय** बनाम **बिहार राज्य** ;	27
[1944]	ए. आई. आर. 1944 प्रिवी कौंसिल 73 : **प्रभू** बनाम **एम्परर** ।	25

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक अपील सं. 409.

2013 की दांडिक अपील सं. 326 में मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै पीठ के तारीख 22 फरवरी, 2016 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री एस. नागामुथु, एम. पी. प्रतिबन, ए. एस. वैरावन, एस. पार्थसारथी और अंकुर प्रकाश
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री योगेश कन्ना और सुश्री सुजाता बयाधी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना ने दिया ।

न्या. रमना – यह अपील वर्तमान अपीलार्थी द्वारा निचले न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों से व्यथित होकर फाइल की गई है, जिन्होंने अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध और भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन घातक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए सदोषिता को कायम रखा है । इस अपील में फिलहाल 2013 की दांडिक अपील सं. 326 में उच्च न्यायालय के तारीख 22 फरवरी, 2016 के निर्णय को आक्षेपित किया गया है ।

2. अभियोजन के वृत्तांत की शुरुआत एक ग्राम उत्सव के दौरान आयोजित एक स्ट्रीट प्ले को देखते समय अभियुक्त और मृतक (साक्थिवेल) के बीच पहले ही हुए झगड़े से हुई थी । यह अभिकथित है कि अभियुक्त-अपीलार्थी को मृतक द्वारा महिलाओं के साथ बैठने के लिए डांटा गया था । इस संदर्भ में, अभियुक्त तारीख 20 अगस्त, 2009 को लगभग 6.00 बजे अपराह्न में घटनास्थल पर आया, जहां राजेन्द्रन (अभि. सा. 1), अरुमुघम (अभि. सा. 2) और सुब्रामणि (अभि. सा. 3) सुमथी (अभि. सा. 4) के स्टॉल से इडली खा रहे थे, तभी अभियुक्त अपीलार्थी-साक्थिवेल (मृतक) को, राजेन्द्रन जो उसका साला है, के साथ लड़ाई करके, वहां से ले जाने के आशय से आया । तद्नुसार, अभियुक्त-अपीलार्थी ने पास ही पड़ा एक डंडा उठाया और अरुमुघम (अभि. सा. 2) पर हमला किया, जो कि बीच-बचाव करने आया था । उसी क्षण साक्थिवेल (मृतक) ने बीच-बचाव किया । उसको देखकर अभियुक्त ने साक्थिवेल को समाप्त कर देने की बात कहते हुए उसकी ठोकरों से धुनाई करने लगा और खींचकर नहर में ले गया । जब उसने नहर के किनारे में ऊपर चढ़ने की कोशिश की, तो अभियुक्त ने उसके सिर पर एक डंडे से प्रहार किया । घटनास्थल पर मौजूद ग्रामवासियों ने उसके सिर पर हमला करके उसे रोका, जिसके कारण अभियुक्त को क्षतियां पहुंचीं । इसके पश्चात्, दोनों क्षतिग्रस्तों, साक्थिवेल और अभियुक्त को एक ऐम्बुलेंस में राजकीय अस्पताल, पुडुकोट्टई स्थानांतरित किया गया । अंततोगत्वा, साक्थिवेल की अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई ।

3. अभि. सा. 23 – उप निरीक्षक रामास्वामी ने अभियुक्त के विरुद्ध 2009 के अपराध सं. 47 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 324 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी 1) रजिस्ट्रीकृत की । सर्किल निरीक्षक, सुभाकुमार-अभि. सा. 24 ने अन्वेषण का कार्य संभाला, घटनास्थल का दौरा किया, पर्यवेक्षण महाजर तैयार की

और कच्चा नक्शा (प्रदर्श पी 7) बनाया । अपराध करने में प्रयुक्त किया गया अभिकथित आयुध (डंडा) (प्रदर्श पी 8) घटनास्थल से बरामद किया गया । अगले दिन, उसने रिपोर्ट (प्रदर्श पी 9) द्वारा मृत्युसमीक्षा की और मृतक साक्थिवेल का शव मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा । तत्पश्चात्, तारीख 22 अगस्त, 2009 को अभियुक्त-अपीलार्थी को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषक अधिकारी ने डा. लावण्य, वह डाक्टर जिसने अभि. सा. 2 (आरुमुघम) का उपचार किया गया था तथा डा. इलायाराजा, जिसने मृतक की मरणोत्तर परीक्षा की थी, के कथन अभिलिखित किए । इसके पश्चात्, प्राधिकारियों ने मृतक के वस्त्र अभिगृहीत किए, जिनका अभिग्रहण रिपोर्ट में तात्विक वस्तु 4 से 6 के रूप में उल्लेख है । अन्वेषक अधिकारी ने अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 302 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाते हुए विद्वान् जिला मुंसिफ सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को आगे सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया । अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

4. सेशन न्यायालय ने तारीख 7 अक्तूबर, 2013 के आदेश द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए कठोर आजीवन कारावास भुगतने और 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का निदेश दिया । अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध के लिए भी एक वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । तथापि, दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया । अपीलार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि बनाए रखने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए मुख्य कारण ये हैं :–

(i) अभियुक्त और मृतक साक्थिलेव के बीच हुई मौखिक कहा-सुनी से संबंधित हेतु अभि. सा. 1, अभि. सा. 6, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 7 द्वारा साबित होता है ।

(ii) विलंब का पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण दिया गया है, क्योंकि पुलिस अन्य मामले का अन्वेषण करने में व्यस्त थी ।

(iii) घटनास्थल से बरामद वस्तुओं को न्यायालय के समक्ष साबित किया गया है ।

(iv) अभियुक्त को क्षति मृतक और भीड़ के बीच हुई हाथापाई के परिणामस्वरूप पहुंची थी, जिसकी संपुष्टि अभि. सा. 2, अभि. सा. 3 और अभि. सा. 5 के साक्ष्य और कथनों से होती है ।

(v) विचारण में अभिज्ञात हुआ है कि अभियुक्त को पहुंची क्षति की शनाख्त करने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए थे ।

(vi) मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट में समय की गलत प्रविष्टि मात्र से स्वतः अभियोजन पक्षकथन के दूषित होने की बात तो दूर मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट भी दूषित नहीं हो जाती है ।

(vii) गिरफ्तारी के पहलू पर यह एक स्वीकार्य निष्कर्ष है कि अभियुक्त को पुलिसकर्मियों द्वारा तारीख 21 अगस्त, 2009 को बलपूर्वक उन्मोचित किया गया था और उसे पुलिस द्वारा पूरे एक दिन परिरुद्ध किया गया था तथा गिरफ्तारी केवल तारीख 22 अगस्त, 2009 को की गई दिखाई गई थी । इसके अतिरिक्त, चूंकि पुलिस की इस कार्रवाई के कारण कोई संस्वीकृति कथन अभिप्राप्त नहीं किया गया था, इसलिए संपूर्ण मामले को दूषित नहीं कहा जा सकता है ।

(viii) एक समाचारपत्र में प्रकाशित वृत्तांत पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिरक्षा पक्ष ने साक्ष्य को चिह्नित करने या संपादक की परीक्षा कराने के लिए कोई उपाय नहीं किए थे ।

(ix) अभियोजन पक्ष द्वारा मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया गया है ।

5. अभियुक्त-अपीलार्थी ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में समावेदन किया । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा निम्नलिखित आधारों पर अभियुक्त की अपील खारिज कर दी :–

(i) पुलिस द्वारा घटना के ठीक पश्चात् अभि. सा. 2 का कथन अभिलिखित करने संबंधी प्रतिरक्षा पक्ष की दलील के बारे में विरोधाभास सारहीन है, जिसमें संपूर्ण मामले को निरस्त करने का बल नहीं है ।

(ii) अभि. सा. 2 को पुनः बुलाकर इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने की बात पर विचार नहीं किया जा सकता है ।

(iii) अभियुक्त को पहुंची क्षतियों के लिए कारण देने में

असफल रहना अभियोजन के पक्षकथन को निरस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

(iv) आयुध और क्षति की प्रकृति हत्या के आरोपों को घोर क्षति में तब्दील करके दंडादेश में कमी करने के लिए आज्ञापक नहीं है ।

6. अभियुक्त ने तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष से व्यथित होकर इस न्यायालय में समावेदन किया है ।

7. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए तर्क की मुख्य बात यह है कि अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन ऐसी रीति में गढ़ा गया है ताकि अपीलार्थी को मामले में अपराधी के रूप में फंसाया जा सके । अभियोजन पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता की सहायता करने के लिए मामले की वास्तविक परिस्थितियों को छिपाया गया है । यहां तक कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रायोजित हेतु भी मिथ्या है । अभियुक्त के विरुद्ध मृतक या उसकी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई कोई शिकायत नहीं है, जिससे स्वतः यह साबित होता है कि हेतु मृतक और अभियुक्त के बीच कालीअम्मा मंदिर उत्सव के अवसर पर गांव में हो रहे नाटक के समय हुई अभिकथित मौखिक कहा-सुनी माना गया है । द्वितीयतः, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने में अत्यधिक विलंब हुआ था और यह विलंब केवल अभियुक्त को फंसाने को लेकर हुआ था । दुर्भाग्यशाली दिन अर्थात् 20 अगस्त, 2009 को लगभग 6.23 बजे अपराह्न में पुलिस को घटना के बारे में इत्तिला मिली थी, किंतु कोई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई । लगभग 7.30 बजे अपराह्न में पुलिस घटनास्थल पर गई, जांच-पड़ताल की, संदिग्ध व्यक्तियों, अभि. सा. 1 से 3 को वास्तविक अपराधी होने के कारण उन्हें अपनी अभिरक्षा में लिया । यहां तक कि अभि. सा. 2 ने भी पुलिस को यह सूचित किया था कि मृतक द्वारा किए गए हमले के कारण उसे क्षतियां पहुंची थीं । अपीलार्थी भी लड़ाई में मृतक के हाथों क्षतिग्रस्त हुआ था । किन्तु पुलिस ने वास्तविक घटना के आधार पर शिकायत रजिस्ट्रीकृत नहीं की थी और निचले न्यायालय मामले के सच्चे पहलुओं का विशिष्ट रूप से अभियुक्त को पहुंची क्षतियों के बारे में स्पष्टीकरण न देने का मूल्यांकन करने में असफल रहे हैं । उसके पश्चात्, अभियुक्त-अपीलार्थी और मृतक को एक ही ऐम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया था और अपीलार्थी की अस्पताल से छुट्टी होने तक पुलिस ने उस पर एक अपराधी के रूप में शंका नहीं की थी । उसके पश्चात्, पुलिस ने शिकायतकर्ता की मौनानुकूलता में अपीलार्थी के विरुद्ध मामला गढ़ा, अपने अनुकूल रूप से

शिकायत तैयार की और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी 1) रजिस्ट्रीकृत की । अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के समय पर भी पहले उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन आरोपित किया गया था, किन्तु विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन दोषसिद्ध किया । विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अभियोजन पक्ष द्वारा तथ्यों को छिपाने की बात पर विचार करने में असफल रहे और विधि के स्थिर सिद्धांतों के अनुसार साक्ष्य का मूल्यांकन किए बिना गलत निष्कर्ष पर पहुंचे और तद्द्वारा एक अनुचित निर्णय किया, जिसे इस न्यायालय के हस्तक्षेप द्वारा अपास्त किया जाना चाहिए ।

8. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने निचले न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया और यह दलील दी कि विचारण न्यायालय ने तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनका उचित परिप्रेक्ष्य में निर्धारण किया और एक सकारण निर्णय दिया । उच्च न्यायालय द्वारा भी अभियुक्त के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि और दंडादेश की अभिपुष्टि स्पष्ट निष्कर्षों द्वारा की गई है, जिसमें इस न्यायालय का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

9. दोनों पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् हम यह अभिस्वीकार करते हैं कि यह मामला एक प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला है और प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथन पर आधारित है, इसलिए इस मामले के निपटारे के लिए हमारे द्वारा कतिपय प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के कथनों का अवलोकन करना आज्ञापक है ।

10. अभि. सा. 1 शिकायतकर्ता (राजेन्द्रन) द्वारा दिए गए साक्ष्य के परिशीलन मात्र से यह दर्शित होता है कि जब शिकायतकर्ता आरुमुघम (अभि. सा. 2) और सुब्रामण्यिन् (अभि. सा. 3) के साथ सुमथी (अभि. सा. 4) द्वारा बेची जा रही इडलियां खा रहा था, तब अभियुक्त वहां आया और उस पर हमला किया । हमले को निवारित करने में हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया में अभि. सा. 2 भी क्षतिग्रस्त हो गया । इसके ठीक पश्चात्, उसके साले (साक्थिवेल-मृतक) के घटनास्थल पर आने पर अभियुक्त ने उसे नहर में धक्का दे दिया और उसके माथे पर एक डंडे से हमला किया । इसके बाद रजनीकांत (अभि. सा. 15) और शिकायतकर्ता के एक अन्य साढू बालसुंदरम् (अभि. सा. 19) ने ऐम्बुलेंस बुलाई और अभियुक्त तथा साक्थिवेल को अस्पताल लेकर आए जबकि शिकायतकर्ता दुपहिए पर उनके पीछे-पीछे गया और उसे अस्पताल में मृतक की मृत्यु हो जाने के

बारे में पता चला, फिर वह उदायालिपट्टी पुलिस थाने गया और शिकायत (प्रदर्श पी 1) दर्ज की ।

11. घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 2 आरुमुघम **उर्फ** अय्यर का अभिसाक्ष्य इस प्रभाव का है कि जब वह अभियुक्त को, जो अभि. सा. 1 पर हमला करने ही वाला था, रोक रहा था तो उसे क्षतियां पहुंचीं । उसी समय मृतक अपने हाथ में एक डंडा लेकर आया और अभियुक्त से लड़ने लगा । इस साक्षी ने यह भी प्रकथन किया कि ऐम्बुलेंस पुलिस द्वारा उसकी परीक्षा करने और उसके हस्ताक्षर कराने के पश्चात् आई थी । उसने यह भी स्पष्ट किया कि बहुत से व्यक्तियों ने, जिनमें निकटवर्ती दुकानदार भी थे, घटना देखी थी, किंतु यह अभिलेख का विषय है कि उसके, मृतक के दो सालों और रासू के सिवाए, किसी अन्य व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया था । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि मृतक ने डंडे से अभियुक्त के सिर पर हमला किया था, जिसके कारण अभियुक्त को क्षति पहुंची थी । जब मृतक दूसरी बार अभियुक्त पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा था, तो इस साक्षी ने बीच-बचाव किया, जिसके कारण उसे उसकी कलाई पर क्षति कारित हुई । पुलिस, संदेह के आधार उसे अभि. सा. 1 और 3 के साथ कीरनूर पुलिस थाने ले गई, जहां उन्होंने उसे रात भर परिरुद्ध रखा और फिर अगले दिन सवेरे उसे राजकीय अस्पताल भेज दिया । उसकी मुख्य परीक्षा से पूर्व उन्होंने उसे यह चेतावनी दी कि यदि वह उनके निदेशानुसार अभिसाक्ष्य नहीं देता है तो उसके विरुद्ध फर्जी मामला थोप देंगे ।

12. अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित प्रकटीकरण किया है :–

> "घटना के ठीक पश्चात् उदयालिपट्टी पुलिस घटनास्थल पर आई और घटना के बारे में जांच-पड़ताल की तथा मेरा कथन अभिलिखित करने के पश्चात् मेरे हस्ताक्षर कराए । उन्होंने मेरा कथन 108 ऐम्बुलेंस के पहुंचने से पूर्व और हमारे द्वारा साक्थिवेल और कुमार को अस्पताल ले जाने से पूर्व अभिलिखित किया था । उस समय राजेन्द्रन को भी पेश किया गया था और पुलिस ने उसका कथन अभिलिखित किया था और उसके हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए थे । पुलिस ने 108 ऐम्बुलेंस के पहुंचने से पूर्व ही मेरी परीक्षा की थी और 108 ऐम्बुलेंस के पहुंचने के पश्चात् मेरी कोई परीक्षा नहीं की गई थी ।"

अभि. सा. 2 को पुनः बुलाने पर उसने निम्नलिखित कथन किया :–

"मृतक साक्थिवेल ने डंडे से अभियुक्त के सिर पर हमला किया था । मैं वहां आया और मेरे वहां पहुंचने से पूर्व ही अभियुक्त को क्षति पहुंची हुई थी । साक्थिवेल द्वारा दूसरे प्रहार करने में जब मैंने बीच-बचाव किया, तो मुझे मेरी कलाई में क्षति पहुंची । अभियुक्त कुमार को भी उसके सिर पर क्षतियां पहुंचीं । साक्थिवेल द्वारा जोरदार हमला करने के कारण वह नहर में गिर गया और अभियुक्त भी गिर गया ।"

(हमारे द्वारा बल देने के लिए रेखांकित किया गया है)

यह उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 2 को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है ।

13. एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी और मृतक के घनिष्ठ नातेदार अभि. सा. 3-सुब्रामण्यिन् ने यह भी स्वीकार किया कि घटना 6.00 बजे अपराह्न में घटी थी और अभियुक्त तथा मृतक के बीच पांच मिनट झगड़ा हुआ था । जिस समय घटना घटी थी, वहां अंधेरा था । इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि पुलिस निरीक्षक द्वारा उसकी घटनास्थल पर परीक्षा की गई थी और अभि. सा. 1 और 2 भी उस समय वहां मौजूद थे । उसे बाद में अभि. सा. 1 और 2 के साथ कीरनूर पुलिस थाने में ले जाया गया था ।

14. अभि. सा. 4 (सुमथी) ने, जो अभिकथित रूप से इडली बेच रहा था, अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

15. अभि. सा. 5-रासू ने अभि. सा. 2 के बयान की संपुष्टि की है, जिसने अपने बयान में यह कहा कि अभियुक्त और मृतक दोनों लाठियां लिए हुए थे । झगड़े के दौरान दोनों नहर में गिर गए थे और उनको ऊपर खींचे जाने तक दोनों बेहोश थे ।

16. अभि. सा. 15-रजनीकांत ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह 7.15 बजे अपराह्न में घटना के बारे में सुनकर कुरूंथनकुडी पुल पर गया और वहां अभियुक्त और मृतक को पड़े पाया और उन्हें ऐम्बुलेंस में राजकीय अस्पताल लेकर गया । इसके पश्चात्, वह ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (अभि. सा. 14) के साथ घटनास्थल पर वापस आया, जहां पुलिस ने एक कच्चा नक्शा बनाया और उसके हस्ताक्षर कराए । तथापि, इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि जिस समय वह घटनास्थल पर पहुंचा, पुलिस पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और उसके पश्चात् ऐम्बुलेंस आई थी । उसने यह भी कथन किया कि अभि. सा. 1-राजेन्द्रन ने पुलिस

को घटना के बारे में सारी बात बताई और पुलिस ने उसे लेखबद्ध किया था और उसके हस्ताक्षर भी अभिप्राप्त किए गए थे ।

17. अभि. सा. 19-बालसुंदरम् ने भी अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि ऐम्बुलेंस घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने के पश्चात् आई थी और पुलिस ने डंडा अभिगृहीत किया था । इस साक्षी के अनुसार, डाक्टरों ने साक्थिवेल की मृत्यु की घोषणा 8.45 बजे अपराह्न में की थी और उस समय राजेन्द्रन-शिकायतकर्ता अभि. सा. 1 वहां मौजूद नहीं था, किन्तु निरीक्षक, उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल वहां मौजूद थे और उन्होंने उसकी तथा अभि. सा. 15 की परीक्षा की थी, किन्तु उनके हस्ताक्षर नहीं करवाए थे ।

18. अभि. सा. 20-हेड कांस्टेबल मोहन ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह उल्लेख किया कि घटना के दिन 6.23 बजे अपराह्न में जब वह किसी अन्य मामले के अन्वेषण के संबंध में उलाघंथापट्टी की ओर जा रहा था, तो उसे उसके मोबाइल पर घटना के बारे में एक काल प्राप्त हुई । उसने तुरंत अपने ज्येष्ठ अधिकारियों को संदेश भेजा और एक ऐम्बुलेंस बुलाई । जब वह 7.00 बजे अपराह्न में घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने मृतक को ब्रिज स्टोन, कुरुंकुलम पर क्षतिग्रस्त हालत में पड़े पाया, जबकि अभियुक्त सड़क के किनारे पड़ा हुआ था । उसने उन्हें तुरंत 7.05 बजे अपराह्न में राजकीय अस्पताल भेजा । तथापि, इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने अभि. सा. 1 मृतक के साले से पूछताछ की थी और जब वह घटनास्थल पर पहुंचा था तब उसने घायल अभियुक्त और मृतक को नहीं देखा था ।

19. हमने अभि. सा. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 और 22 आदि के कथनों का भी परिशीलन किया है । उनमें से अधिकांश अनुश्रुत साक्षी हैं और उनके अभिसाक्ष्यों से कोई महत्वपूर्ण बात निकलना प्रतीत नहीं होता है ।

20. राजेन्द्रन-शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के प्रतिकूल, अभि. सा. 2, 3, 4, 15, 19 और 20 द्वारा दिए गए साक्ष्यों के संयुक्त परिशीलन से पूर्ण रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त और मृतक दोनों ने डंडों के साथ लड़ाई में भाग लिया था, अभियुक्त को मृतक के हाथों सिर पर क्षति पहुंची थी, अभि. सा. 2 (आरुमुघम) जब अभियुक्त के हमले से अभि. सा. 1 (राजेन्द्रन) को बचाने की कोशिश कर रहा था तो स्वयं उसे भी क्षति कारित हुई थी, पुलिस घटना घटने के दस

मिनट के भीतर अर्थात् ऐम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल पर पहुंची थी और अभि. सा. 1 राजेन्द्रन (शिकायतकर्ता), आरुमुघम **उर्फ** अय्यर (अभि. सा. 2), सुब्रामण्यिन् (अभि. सा. 3) और अन्य साक्षियों ने पुलिस को घटना का वर्णन किया था और पुलिस ने फिर वहां मौजूद व्यक्तियों की परीक्षा की थी, कच्चा नक्शा बनाया था और उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी करावाए थे ।

21. विभिन्न अभिसाक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात् हमारी यह सुविचारित राय है कि इस मामले में चार महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनकी चर्चा और सविस्तार उल्लेख किया जाना चाहिए । यदि उपरोक्त साक्ष्य की समय के परिप्रेक्ष्य में परीक्षा की जाए, तो पूर्वगामी चर्चा से कुल मिलाकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घटना लगभग 6.15 बजे अपराह्न में घटी थी और हेड कांस्टेबल मोहन (अभि. सा. 20) को 6.23 बजे अपराह्न में घटना की इत्तिला मिली और उसने 6.26 बजे अपराह्न में इस संदेश को उप निरीक्षक और सर्किल निरीक्षक को भेजा, इसके ठीक पश्चात् 6.30 बजे अपराह्न में ऐम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची । उस सुसंगत समय पर, पुलिस ने अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अन्य साक्षियों से पूछताछ की, रिपोर्ट, कच्चा नक्शा आदि तैयार किए और उन पर साक्षियों के हस्ताक्षर करवाए तथा क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को अस्पताल भेजा । घटनाओं के क्रम से यह दर्शित होता है कि पुलिस द्वारा पहले ही अन्वेषण आरंभ कर दिया गया था । तात्पर्य यह है कि अभि. सा. 1, 2 और अन्य साक्षियों द्वारा घटनास्थल पर लगभग 6.30 बजे अपराह्न में दी गई जानकारी आदर्शतः प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का आधार होनी चाहिए थी । जबकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी 1) से यह दर्शित होता है कि पुलिस थाने में इत्तिला तारीख 20 अगस्त, 2009 को 9.30 बजे अपराह्न में प्राप्त हुई थी ।

22. हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि यह दो व्यक्तियों-अभियुक्त और मृतक के बीच हुई लड़ाई का मामला है । अभि. सा. 1 और 3 सहित अधिकांश प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी आक्रामक था । दिलचस्प रूप से, अभि. सा. 2 का यह कथन है कि भले ही साक्थिवेल ने एक डंडे से अभियुक्त के सिर पर हमला किया था, तो भी उसके कथन पर आठ मुख्य कारणों से विश्वास किया जाना चाहिए :–

(i) पुलिस ने घटना के पश्चात् कुछ सोच-विचार करके अभि. सा. 2 के कथन को युक्तिपूर्वक हल्का कर दिया था ।

(ii) अभि. सा. 2 के बयान की अभि. सा. 4 ने संपुष्टि की है ।

(iii) अभियुक्त को पहुंची क्षति के लिए कारण नहीं दिया गया है ।

(iv) सभी अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्त के भी क्षतिग्रस्त होने का उल्लेख उसे पहुंची क्षति की प्रकृति के बारे में विनिर्दिष्ट कथन किए बिना किया गया है और सभी अभियुक्त साक्षियों का यह कथन है कि अभियुक्त को क्षति पहुंचने का लांछन दर्शकों द्वारा किसी स्पष्टता के बिना लगाया गया था ।

(v) पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी का तरीका और अभियुक्त को अस्पताल से अप्राधिकृत रूप से छुट्टी देना तथा उसे दिनभर पुलिस अभिरक्षा में परिरुद्ध रखना ।

(vi) पुलिस प्राधिकारियों द्वारा अन्वेषण में सक्रियता से घालमेल करना ।

(vii) पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलंब को स्पष्ट न किया जाना ।

(viii) वह अभिकथित रूप से वह व्यक्ति है, जो घटना में क्षतिग्रस्त हुआ था ।

23. प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के वृत्तांत के आधार पर हम यह मत व्यक्त कर सकते हैं कि कम-से-कम तीन अलग-अलग वृत्तांत हैं, जिनसे सारभूत रूप से अभियोजन का पक्षकथन कमजोर होता है ।

24. अपराध की उत्पत्ति को छिपाने के मुद्दे पर, अभि. सा. 20 (हेड कांस्टेबल) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह ऐम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल पर मौजूद था । यद्यपि, इस साक्षी की विस्तारपूर्वक प्रतिपरीक्षा की गई थी, किंतु वह अपनी इस स्थिति से नहीं डगमगाया कि ऐम्बुलेंस पहुंचने से पूर्व कोई कथन अभिलिखित नहीं किया गया था । इसके विपरीत, अभि. सा. 2 ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि अभि. सा. 20 द्वारा ऐम्बुलेंस पहुंचने से पूर्व एक कथन अभिलिखित किया गया था । यद्यपि, उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 2 के साक्ष्य को अविश्वसनीय पाया क्योंकि साक्ष्य का वह भाग जिसमें पूर्वोक्त ब्यौरा दिया गया है, वह कुछ दिनों के पश्चात् उसे पुनः बुलाकर अभिलिखित किया गया है, इसलिए तरफदार बना लेने की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए अभि.

सा. 2 द्वारा किए गए कथन की विश्वसनीयता पर इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में विचार किए जाने की आवश्यकता है । तथापि, जब अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है, तो हमें ऐसी धारणा का अंतर्निहित तर्काधार समझ नहीं आता और इतना ही नहीं, जब उसके विवरण की संपुष्टि अन्य साक्षियों से हुई है । अतः, अभि. सा. 2 के साक्ष्य की तह में जाने की आवश्यकता है ।

25. यह अभिलेख का विषय है कि अभिकथित अभियुक्त-अपीलार्थी को घटना से अगले दिन अस्पताल से हड़बड़ी में गिरफ्तार किया गया था । यह भी उल्लेख किया गया है कि पुलिस प्राधिकारियों ने अपीलार्थी को अस्पताल से अप्रायिक रीति से छुट्टी कराई और उसे एक दिन अवैध रूप से परिरुद्ध रखा । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2 ने पुलिस की कार्रवाई पर स्पष्ट तौर पर निम्नलिखित कथन किया है :–

> "पुलिस ने मेरे से घटना के बारे में पूछताछ की और मैंने घटना का वर्णन किया । पुलिस और पुलिस उप निरीक्षक संदेह के आधार पर मुझे, अभि. सा. 1 (राजेन्द्रन) और अभि. सा. 3 (सुब्रामण्यिन्) को कीरनूर पुलिस थाने ले गई । मुझे रात भर कीरनूर पुलिस थाने में निरुद्ध रखा गया और अगले दिन सवेरे मुझे उपचार के लिए कीरनूर राजकीय अस्पताल भेजा गया । मेरी मुख्य परीक्षा से पूर्व, उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि यदि मैंने उनके निदेशानुसार अभिसाक्ष्य नहीं दिया, तो वे मेरे विरुद्ध कोई मामला थोप देंगे और केवल इसी कारण मैंने ऐसा कथन किया है ।

अन्वेषक प्राधिकारी ने मामले का अनुशीलन करने के लिए जिस रीति में उन्होंने कार्रवाई की, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए । उच्च न्यायालय ने इस पहलू पर ठीक ही यह अवेक्षा की है कि पुलिस प्राधिकारियों ने गिरफ्तारी करने में जो घालमेल किया है उसके सर्वोत्तम कारण उन्हें ही ज्ञात है । यद्यपि हम **प्रभू** बनाम **एम्परर**[1] वाले मामले में अधिकथित विनिश्चयाधार से अभिज्ञ हैं, जिसमें न्यायालय ने यह विनिर्णय दिया है कि गिरफ्तारी करने में की गई अनियमितता और अवैधता से अपराध की आपराधिकता प्रभावित नहीं होगी, यदि इसे सटीक साक्ष्य द्वारा साबित किया गया हो, तो भी प्रस्तुत मामले में ऐसी अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अन्वेषक प्राधिकारी तथ्यों को छिपाने के लिए

---

[1] ए. आई. आर. 1944 प्रिवी कौंसिल 73.

उत्तरदायी है ।

26. दांडिक न्याय अनिन्द्य होना चाहिए । यह बात असंगत है कि क्या साक्षियों के कथन में या अभियुक्त की दोषिता के संबंध में असत्यता है या नहीं । अन्वेषक प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वह ऋजु तरीके से अन्वेषण करे और सच्चाई को प्रकट करे । पुनरावृत्ति करते हुए, हमें संबंधित प्राधिकारियों को स्मरण कराना होगा कि अन्वेषण अंततोगत्वा परिणाम को ध्यान में रखे बिना तटस्थ रीति में किया जाना चाहिए । प्रस्तुत मामले में, जो कुछ घटित हुआ है, हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं ; दोषिता या प्राख्यान किए गए साक्ष्य की प्रेरकता को विचार में लाए बिना उस पहलू की उपेक्षा या अनदेखी नहीं की जा सकती है, जिसमें पुलिस ने तथ्यों को छिपाने के लिए सक्रिय रूप से मौनानुकूलता बरती है ।

27. अभियुक्त-अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा उठाया गया एक अन्य मुद्दा यह है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त को कारित हुई क्षतियों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और इसलिए अभियोजन के पक्षकथन पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए । प्रारंभ में, इस पहलू पर विधि के स्थिर सिद्धांतों का उल्लेख करना सुसंगत होगा । साधारणतया, इस बाबत कोई स्पष्टीकरण न देने में अभियोजन पक्ष की असफलता से यह दर्शित होता है कि घटना के संबंध में अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य सत्य नहीं है या किसी भी दशा में पूर्णतः सत्य नहीं है (**मोहर राय और भरत राय** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाला मामला देखें) ।

28. **लक्ष्मी सिंह और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[2] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है :–

> "जहां अभियोजन पक्ष अभियुक्त को पहुंची क्षतियों को स्पष्ट करने में असफल रहता है, वहां इसके दो परिणाम होंगे –
>
> (1) यह कि अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य असत्य है ; और
>
> (2) यह कि क्षतियां अपीलार्थियों द्वारा किए गए अभिवाक् को अधिसंभाव्य बनाती है ।

---

[1] 1968 क्रिमिनल ला जर्नल 1479.

[2] 1976 क्रिमिनल ला जर्नल 1736.

यह भी मत व्यक्त किया गया कि –

किसी हत्या के मामले में, अभियुक्त को लगभग घटना के समय पर या झगड़े के दौरान पहुंची क्षतियों का स्पष्टीकरण न देना एक ऐसी अति महत्वपूर्ण परिस्थिति है जिसमें न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकता है –

(1) यह कि अभियोजन पक्ष ने घटना की उत्पत्ति और शुरूआत को छिपाया है और इस प्रकार सत्य वृत्तांत प्रस्तुत नहीं किया है ;

(2) यह कि जिन साक्षियों ने अभियुक्त के शरीर पर क्षतियां मौजूद होने की बात से इनकार किया है, वे अत्यंत तात्विक बिंदु पर झूठ बोल रहे हैं और इसलिए उनका साक्ष्य अविश्वसनीय है ;

(3) यह कि यदि प्रतिरक्षा पक्ष का कोई ऐसा वृत्तांत है जिसमें अभियुक्त के शरीर पर पहुंची क्षतियों को स्पष्ट किया गया है, इसका वहां और अधिक महत्व हो जाता है जहां साक्ष्य हितबद्ध या विद्वेषी साक्षियों के हों या जहां प्रतिरक्षा पक्ष ने ऐसा वृत्तांत दिया है जिसका अधिसंभाव्यता की दृष्टि से अभियोजन पक्ष के वृत्तांत से विरोध है ।"

29. प्रस्तुत मामले में, स्वीकृततः, अभियुक्त-अपीलार्थी भी उसी घटना में क्षतिग्रस्त हुआ था और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था । किंतु अभियोजन पक्ष ने उसका चिकित्सीय अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, न ही अभियुक्त को पहुंची क्षतियों की प्रकृति की बात पर डाक्टर की परीक्षा की गई है । विचारण न्यायालय ने, अभियुक्त को पहुंची क्षतियों के अभियोजन पक्ष से उचित स्पष्टीकरण की ईप्सा करने के बजाय, अभियोजन साक्षियों द्वारा एक वाक्य में दिए गए इस अभिसाक्ष्य पर सरलता से विश्वास किया गया प्रतीत होता है कि अभियुक्त को केवल साधारण क्षतियां पहुंची थीं ।

30. अभि. सा. 24 अन्वेषक अधिकारी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि हाथापाई अभि. सा. 2 (आरुमुघम) को "साधारण" क्षतियां पहुंची थीं और अभि. सा. 24 ने डा. लावण्य (अभि. सा. 17) का कथन अभिलिखित किया था, जिसने अभि. सा. 2 का उपचार किया था । उसने डा. इलायाराज (अभि. सा. 18), जिसने मृतक के शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी, की भी परीक्षा की थी । किन्तु, अभियुक्त-अपीलार्थी के मामले में अभि.

सा. 24 अन्वेषक अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि उसे इस तथ्य की जानकारी थी कि अभियुक्त-अपीलार्थी अंतरंग रोगी के रूप में भर्ती है और अभियुक्त-अपीलार्थी को क्षतियां पहुंची हैं । उसने यह भी कथन किया कि न तो उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और न ही अभियुक्त को पहुंची क्षतियों की बाबत डाक्टर की परीक्षा की थी । जिन परिस्थितियों में मृतक, अभियुक्त और अभि. सा. 2 (आरुमुघम) को भी क्षतियां पहुंची थीं, उनमें अन्वेषक अधिकारी के लिए डाक्टर की परीक्षा करना और अभियुक्त को पहुंची क्षतियों के बारे में जानकारी लेना आबद्धकर था और उसे अभिलेख का भाग बनाया जाना चाहिए था । अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय को इस बात का उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे कि उस व्यक्ति के शरीर पर, जो मृतक पर हमला करने का अभियुक्त है, उसी घटना में कैसे क्षतियां पहुंची थीं । हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि अभियुक्त को अभिकथित रूप से पहुंची क्षतियों के बारे में उचित रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । एक अनुकल्पी कहानी गठित की गई है जिसमें भीड़ द्वारा मारपीट करने के कारण क्षतियां पहुंचने की बात कही गई है, ऐसे अभिकथनों को सारभूत साक्ष्य के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

31. मामले के अन्य पहलू पर आते हैं । अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त का हेतु एक ग्राम उत्सव पर एक नाटक के दौरान अभियुक्त और मृतक के बीच हुए पूर्ववर्ती झगड़े को माना गया है । साधारणतया, यदि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के हेतु को एक परिस्थिति के रूप में रखना चाहता है, तो अपराध में आलिप्त करने वाली किसी अन्य परिस्थिति की तरह इसे भी पूरी तरह से सिद्ध किया जाना चाहिए । हम इस तथ्य के प्रति जागरूक हैं कि यदि घटना के हेतु की उत्पत्ति को साबित नहीं किया जाता है, तो घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों का परिसाक्ष्य केवल हेतु के अभाव के आधार पर तब व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यदि अन्यथा साक्ष्य विश्वास करने योग्य है । किन्तु प्रस्तुत मामले में, जैसाकि हमने उपरोक्त पैराओं में चर्चा की है, प्रत्यक्ष साक्ष्य समाधानप्रद नहीं है तथा दूसरी ओर, प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के इस परिसाक्ष्य के अतिरिक्त कि झगड़ा हुआ था, यह प्रदर्शित होता है कि मृतक ने डंडे से अभियुक्त के सिर पर प्रहार किया था । ऐसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, निश्चित रूप से हेतु एक दुधारी तलवार के रूप में कार्य कर सकता है ।

32. इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा स्थिर की गई विधि और साथ ही

साक्ष्य से जो स्पष्ट होता है, को ध्यान में रखते हुए यदि यह मान लिया जाए कि अभियुक्त ने मृतक पर डंडे से प्रहार किया था, तो भी अत्यधिक क्रूरता का अभाव है । यदि मृतक को जान से मारने का प्रबल हेतु रहा होता, तो मृतक पर डंडे से नहीं अपितु अधिक खतरनाक आयुधों का उपयोग करके कारित की गई अधिक घातक क्षतियां पाई जातीं । ये परिस्थितियां हमें बताती हैं कि यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त द्वारा उस झगड़े की पृष्ठभूमि में मन में हेतु रखा हुआ था, जो घटना की तारीख से पूर्व ग्राम उत्सव पर नाटक के दौरान हुआ था । जहां तक कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त द्वारा उक्त झगड़े में अपराध कारित करने के लिए हेतु के तत्व के रूप में जो आधार लिया है, ऐसे हेतु के सकारात्मक सबूत के अभाव में अभियोजन पक्ष को इस आधार को सिद्ध करने में असफलता का सामना करना होगा ।

33. अब आरुमुघम **उर्फ** अय्यर (अभि. सा. 2) को क्षतियां कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अन्य आरोप पर आते हैं । ऊपर उल्लिखित कमियों को ध्यान में रखते हुए, आसानी से यह कहा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन आरोप भी सिद्ध नहीं होता है । उपर्युक्त निष्कर्ष की स्पष्ट रूप से इस तथ्य से पुष्टि होती है कि इस क्षतिग्रस्त साक्षी ने स्वयं उसे पहुंची क्षति के लिए अभियुक्त के बजाय मृतक को उत्तरदायी ठहराया है । ऐसी स्थिति में, धारा 324 के आरोप के आधार पर अभियुक्त की दोषसिद्धि को विधि के अधीन कायम नहीं रखा जा सकता है ।

34. इस मामले में की परिस्थितियों और अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित करना कठिन है कि अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर प्रस्तुत किया है और अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है । हम उस तरीके से हैरान है जिसमें निचले न्यायालयों ने इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को समझा है । हम विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर विचार करते समय अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं ।

35. प्रसामान्यतः, यह न्यायालय निचले न्यायालयों द्वारा अभिलिखित किए गए एक-जैसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता, किंतु इस मामले में

हमने ऊपर वर्णित अनुसार कतिपय आपवादिक परिस्थितियां पाई हैं ; इसलिए इन पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् हमारा यह विचार है कि यह हमारे हस्तक्षेप के लिए एक उपयुक्त मामला है । हमारी राय में, दोनों निचले न्यायालयों ने साक्षियों के साक्ष्य के अंतर्निहित गुणागुण पर विचार करने के बजाय अनुचित रूप से कार्य किया है । जब एक बार हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि हम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और अभियोजन के पक्षकथन की असलियत पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसलिए आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए प्राख्यान युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होते हैं । इस मामले के विलक्षण तथ्यों और परिस्थितियों में, संदेह का फायदा निश्चित तौर पर अभियुक्त-अपीलार्थी के पक्ष में जाता है । इस दृष्टिकोण से विचार करते हुए, अभियुक्त-अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश अधिनिर्णीत करने वाले निचले न्यायालयों के निर्णयों को अपास्त किया जाना अपेक्षित है ।

36. परिणामतः, यह अपील मंजूर की जाती है और निचले न्यायालयों द्वारा अधिनिर्णीत दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किया जाता है । अभियुक्त-अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । यह बताया गया है कि अपीलार्थी कारागार में है । उसे, यदि उसकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तुरंत रिहा कर दिया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.